संख्या : —/जी0एस0(शिक्षा)/A3-100(2)/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड

देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 2026 के0यू0/मान्यता/सम्बद्धता/2020–21 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत को बी0ए0–(गृह विज्ञान एवं भूगोल) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020–21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय को निम्न तालिका में उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत।	बी0ए0 (गृह विज्ञान एवं भूगोल)	80 सीट प्रति विषय	शैक्षिक सत्र 2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों को पूर्ण करने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2– महाविद्यालय के समस्त मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय इस सचिवालय के पत्र सं0– 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

3– यद्यपि उक्त महाविद्यालय के मानक अपूर्ण हैं तथापि मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा छात्रहित में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्बद्धता प्रस्ताव में कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है, किन्तु विश्वविद्यालय इसको नजीर मानते हुए सम्बद्धता जारी नहीं करेगा अपितु यू0जी0सी0/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बद्धता दिये जाने पर निर्णय लेगा चूंकि मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का है।

4– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियमों व नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1661 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-100(2)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
03. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत।
04. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।